भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क
CENTRAL TAX, CENTRAL EXCISE & CUSTOMS
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

NATION TAX MARKET

प.सं.I/22/02/2021-PRO.

दिनांक: 24.08.2021

जीईएम पोर्टल के माध्यम से खरीद

विषय : जेम पोर्टल पर दिनांक 01.09.2021 से दिनांक 31.08.2022 तक की अवधि के लिए केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क मुख्यालय, केंद्रीय राजस्व भवन, कोच्चि में हाउसकीपिंग(रख-रखाव)सेवा (जनशक्ति की आपूर्ति) की आउटसोर्सिंग के लिए प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति - सम्बंधित ।

मुझे, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय, केंद्रीय राजस्व भवन, कोच्चि में हाउसकीपिंग सेवा(जनशक्ति की आपूर्ति -12 जन) की आउटसोर्सिंग के लिए जेम पोर्टल में एल-1 बोलीदाता (यानी, मेसर्स सीवर्ल्ड शिपमैनेजमेंट सर्विस) को ठेका देने के लिए **29,78,976 रुपये (29 लाख 78 हजार नौ सौ सत्तर रूपए मात्र)** की राशि के लिए केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त,कोच्चि के प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति व्यक्त करने का निर्देश दिया गया है ।

यह व्यय की पूर्ति केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय, कोच्चि के उचित खाता शीर्ष के तहत की जानी चाहिए ।

[एस. सुरेश]
सहायक आयुक्त[का.व सत.]

सेवा में

प्रशासनिक अधिकारी (मु.)
केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय, कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क
CENTRAL TAX, CENTRAL EXCISE & CUSTOMS
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

NATION TAX MARKET

प.सं.I/22/02/2021-PRO. दिनांक: .07.2021

हाउसकीपिंग(रख-रखाव) सेवाओं को किराए पर लेने के लिए अतिरिक्त नियम और शर्तें

1. काम के घंटे रोजाना सुबह 07.30 बजे से शाम 04.30 बजे तक एक घंटे के लंच और टिफिन ब्रेक के साथ होंगे।
2. न्यूनतम कर्मचारी आकस्मिक सफाई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी कार्य दिवसों पर शाम 6.30 बजे तक उपलब्ध होना चाहिए।
3. तैनात कार्मिक अच्छी तरह से अनुभवी और पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए और उनका स्वास्थ्य अच्छाखासा होना चाहिए । उन्हें वर्दी और प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाने वाले पहचान पत्र प्रदान किए जाने चाहिए।उन्हें स्थानीय भाषा और विशेषतः अंग्रेजी का भी ज्ञान होना चाहिए|
4. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रधान आयुक्त के कार्यालय में विभाग द्वारा इस संबंध के कार्य सौंपे गए प्रभारी अधिकारी/कार्यवाहक अधिकारी के समक्ष कार्मिक रिपोर्ट करेंगे।
5. कामगार मुआवजा अधिनियम, 1948 के तहत लागू सभी दावों के खिलाफ एजेंसी की रक्षा करनेवाली बीमा रक्षा प्रदाता द्वारा ली जाएगी । सेवा प्रदाता उसके द्वारा तैनात किसी भी व्यक्ति (कम अवधि के लिए तैनात व्यक्ति के लिए भी) के लिए आवश्यक बीमा रक्षा की व्यवस्था करेगा। यह कार्यालय ठेकेदार द्वारा आउटसोर्सिंग के लिए प्रदान किए गए मजदूर द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन करते समय होने वाली दुर्घटना, यदि कोई हो, से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा। इस आयुक्तालय पर कोई दायित्व/दावा पड़ने की स्थिति में, सेवा प्रदाता द्वारा उसकी प्रतिपूर्ति/क्षतिपूर्ति की जाएगी।
6. ठेकेदार को, मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के कार्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत निर्धारित प्रचलित दर पर, अपने कर्मियों के पारिश्रमिक का भुगतान करना चाहिए जो न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होना चाहिए। इस शर्त का कोई भी उल्लंघन अनुबंध(ठेके) की समाप्ति के लिए उत्तरदायी होगा और तदनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी । इसके अलावा, मौजूदा नियमों के अनुसार ठेकेदार द्वारा प्रति व्यक्ति को ईएसआई और पीएफ का भुगतान किया जाना चाहिए और भुगतान किए गए नकद चालानों की प्रतियां हर महीने इस कार्यालय में प्रस्तुत की जानी चाहिए।
7. ठेकेदार कर्मियों को लागू होने पर अवकाश वेतन, बोनस, ग्रेच्युटी आदि सहित मासिक वेतन के भुगतान की जिम्मेदारी है। ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वेतन के विलंबित भुगतान पर कर्मियों की ओर से किसी शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं है।
8. हाउसकीपिंग एजेंसी द्वारा नियुक्त कर्मचारी केवल एजेंसी के रोजगार में होंगे न कि विभाग के।सेवा प्रदाता की नियुक्ति किसी भी तरह से सेवा प्रदाता या उसके द्वारा इस कार्यालय में तैनात व्यक्तियों को इस कार्यालय या किसी अन्य सरकारी कार्यालय में किसी भी नियमित या अंशकालिक रोजगार का दावा करने के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है।

9. ठेकेदार क्षतिपूर्ति करेगा और इस कार्यालय को काम के लिए लगे पुरुषों / महिलाओं की चूक या लापरवाही, बेईमानी या कदाचार के कृत्यों के खिलाफ क्षतिपूर्ति करेगा और यह कार्यालय ऐसे व्यक्ति या तीसरे पक्ष को किसी भी नुकसान या मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। हाउसकीपिंग कर्मियों के कारण होने वाले सभी नुकसानों की वसूली ठेकेदार से की जाएगी और इसकी देय राशि/बिलों से वसूल की जाएगी।
10. सेवा प्रदाता द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को कार्यालय परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
11. सेवा प्रदाता के पास स्थानीय कार्य बल और एक नियमित पर्यवेक्षक के साथ केरल में एक पंजीकृत कार्यालय होना चाहिए जो समय-समय पर परिसर का दौरा करे और यह सुनिश्चित करे कि उनके द्वारा नियोजित व्यक्ति अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता रख रहे हैं और उन्हें सौंपे गए कार्यों को खरीदार विभाग की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं।
12. हाउसकीपिंग ठेकेदार द्वारा राज्य और केंद्र सरकार दोनों के सभी मौजूदा वैधानिक नियमों का पालन और अनुपालन किया जाएगा और उनके बनाए गए सभी रिकॉर्ड इस कार्यालय द्वारा जांच के लिए उपलब्ध होने चाहिए। हाउसकीपिंग ठेकेदार, सफल ठेकेदार के साथ निष्पादित किए जाने वाले करार के नियमों और शर्तों का कड़ाई से पालन करेगा । ठेकेदार द्वारा ऐसी वैधानिक आवश्यकताओं और / या करार की शर्तों का पालन करने में विफलता या करार की अवधि के दौरान सेवाओं में कमी के परिणामस्वरूप अनुबंध समाप्त हो जाएगा।
13. सेवा प्रदाता किसी भी स्थिति में सेवाओं के लिए पट्टा/स्थानांतरण/उपपट्टा/कार्यवाहक नियुक्त नहीं करेगा।
14. इस आयुक्तालय के तहत कार्यालयों के परिसर के भीतर, काम के घंटों के दौरान सेवा प्रदाता के कर्मचारी अपने सामान्य कर्तव्यों के अलावा कोई निजी काम नहीं करेंगे।
15. श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मजदूरी में कोई भी वृद्धि अनुबंध अवधि के दौरान सेवा प्रदाता द्वारा कर्मचारियों को संवितरण के लिए प्रभावी होगी
16. बोलीदाता को अपने टर्नओवर विवरण, क्षेत्र में अनुभव, भुगतान की गई ईएमडी का विवरण, उनके स्थानीय कार्यालय के पते का प्रमाण आदि के लिए दस्तावेजी प्रमाण अपलोड करना चाहिए।

[एस. सुरेश]
सहायक आयुक्त[का.व सत.]

प्रति प्रस्तुत है :

प्रधान आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क
CENTRAL TAX, CENTRAL EXCISE & CUSTOMS
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

ONE NATION TAX MARKET

प.सं.I/22/02/2021-PRO. दिनांक: .07.2021

काम का दायरा

1. अनुबंध की 12 महीने की अवधि के लिए केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय, केंद्रीय राजस्व भवन, आई एस प्रेस रोड, कोच्चि पर कार्यालय परिसर में, जिसमें में 68,200 वर्ग फुट का निर्मित क्षेत्र (6 मंजिल + भवन परिसर का खुला क्षेत्र)शामिल हैं, एक घंटे के लंच और टिफिन ब्रेक सहित सुबह 7.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक हाउसकीपिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए और शनिवार के दौरान कैंटीन परिसर और अन्य उपकरणों की गहरी सफाई के लिए |
2. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि परिसर की प्रभावी हाउसकीपिंग के लिए कम से कम 12 व्यक्तियों की तैनाती की जाए
3. सेवा प्रदाता के पास स्थानीय कार्य बल और एक नियमित पर्यवेक्षक के साथ केरल में एक पंजीकृत कार्यालय होना चाहिए जो समय-समय पर परिसर का दौरा करे और यह सुनिश्चित करे कि उनके द्वारा नियोजित व्यक्ति अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता रख रहे हैं और उन्हें सौंपे गए कार्यों को खरीदार विभाग की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं।
4. **दैनिक कार्य**

क. केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोचीन कार्यालय में स्थापित टेबल, कुर्सियों, ट्रे, टेलीफोन, फाइलिंग कैबिनेट, अलमारी, पेपर रैक, टेबल, पंखे, फोटोकॉपियर मशीन, प्रिंटर, कंप्यूटर सिस्टम, अन्य कार्यालय उपकरणों के झाड़ - पोंछ और सफाई।

ख. सभी फर्श, कमरे आदि को झाड़ू लगाना और आवश्यक डिटर्जेंट से उनकी सफाई ।

ग. कंप्यूटर वर्क स्टेशनों सहित सभी कार्यालय फर्नीचर के झाड़ - पोंछ और सफाई |

घ. सीढ़ियों और रेलिंग सहित परिसर में लकड़ी के पैनलों का झाड़ - पोंछ ।

ड. डिटर्जेंट पाउडर और डिओडरेंट आदि से शौचालयों की सफाई। शौचालयों को दिन में तीन बार (सुबह, दोपहर एक शाम) और जरूरत पड़ने पर साफ किया जाना चाहिए।

च. परिसर में विभिन्न स्थानों से अपशिष्ट कागज और अन्य अपशिष्ट एकत्र करना और इसे विशिष्ट डंपिंग क्षेत्रों में जमा करना।

छ. फर्नीचर और अभिलेखों को स्थानांतरित करना और आवश्यकता पड़ने पर इसकी पुनर्व्यवस्था करना।

ज. ऐसी अन्य सफाई या अन्य कार्य जो केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोचिन द्वारा सौंपा जा सकता है।

झ. अधिकारियों/कर्मचारियों को चाय/कॉफी/पानी आदि परोसना |

ञ. कार्यालय उपकरणों का देखभाल और नियमित रखरखाव।

ट. ट्रेड मिल्स, टेबल टेनिस टेबल आदि जैसे खेल उपकरणों की सफाई और रखरखाव और व्यायामशाला में उपकरणों के संचालन में प्रशिक्षुओं की सहायता करना।

ठ. सभी मंजिलों पर कांच की दीवारों की सफाई ।

ढ. कृत्रिम पौधों, दरवाज़ों की चटाइयों और कालीनों की सफाई और प्राकृतिक पौधों को पानी देना ।

5. उपरोक्त कार्य के अलावा, निम्नलिखित विशेष सफाई कार्य आदि, सप्ताह में एक बार और आवश्यकता पड़ने पर, छत, दीवारों, लैंप शेड्स, फ्रेम, पंखों आदि का झाड़ - पोंछ, सभी खिड़कियों के आंतरिक और बाहरी कांच की सफाई, वैक्यूम क्लीनर का उपयोग कर कार्यालय में सभी फर्नीचर और कार्यालय उपकरणों की सफाई, फर्श को ब्रश करना और उसकी धुलाई, आवश्यक डिटर्जेंट और फर्श स्क्रबिंग मशीन से सीढ़ियां, दीवारों/फर्श से दाग हटाने का कार्य, रसायनों आदि से सफाई, और सप्ताह में एक बार मकड़जाल को हटाने का कार्य ।

6. तैनात किए गए सेवा कर्मियों को शौचालयों और भवन परिसरों में पाइपों की सफाई और रुकावट को दूर करने जैसे आपातकालीन कार्यों में भाग लेने की भी आवश्यकता हो सकती है ।

7. ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मियों के पास वैक्यूम क्लीनर, फ्लोर स्क्रबिंग मशीनों या इसी तरह की सफाई मशीनों के उपयोग में अपेक्षित विशेषज्ञता होनी चाहिए।

[एस. सुरेश]
सहायक आयुक्त[का.व सत.]

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क
CENTRAL TAX, CENTRAL EXCISE & CUSTOMS
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

NATION TAX MARKET

प.सं.I/22/22/2021-PRO. दिनांक: 28.07.2021

जीईएम पोर्टल के माध्यम से खरीद

विषय : जेम पोर्टल पर दिनांक 01-08.2021 से दिनांक 31.07.2022 तक की अवधि के लिए (1) केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय, कोच्चि, (2) केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) आयुक्तालय, कोच्चि और (3) मुख्य आयुक्त कार्यालय में वाहनों को किराए पर लेने के लिए प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति ।

मुझे केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय कार्यालय, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) आयुक्तालय, कोच्चि और मुख्य आयुक्त कार्यालय, कोच्चि में दिनांक 01.08.2021 से दिनांक 31.07.2022 तक की अवधि के लिए 13 वाहनों को किराए पर लेने के लिए[(यानी, 8ऑपरेशन वाहन (छोटे आकार) @Rs. प्रत्येक 42,209.44 रूपए के दर पर, 2 स्टाफ कार प्रत्येक 53,599.04 रूपए के दर पर और 3 परिचालन वाहन (मिड-साइज) प्रत्येक 50,892.80 रुपये के दर पर-प्रत्येक जीएसटी सहित प्रति माह,)]जेम पोर्टल में एल-1 बोलीदाता (यानी, मेसर्स यूनाइटेड टूर्स एंड ट्रेवल्स) को ठेका देने के लिए **71,68,224 रुपये (71 लाख 68 हज़ार,दो सौ चौबीस रूपए मात्र)** की राशि के लिए केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि के प्रधान आयुक्त की प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति व्यक्त करने का निर्देश दिया गया है ।

यह व्यय की पूर्ति केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय, कोच्चि के उचित खाता शीर्ष - अन्य व्यय -वाहन के तहत की जानी चाहिए ।

[एस. सुरेश]
सहायक आयुक्त[का.व सत.]

सेवा में

प्रशासनिक अधिकारी (मु.)
केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय, कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क
CENTRAL TAX, CENTRAL EXCISE & CUSTOMS
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

NATION TAX MARKET

प.सं.I/22/22/2021-PRO. दिनांक: 14.07.2021

वाहनों को किराए पर लेने के लिए अतिरिक्त नियम और शर्तें

1. अनुबंध की अवधि के दौरान, किसी भी कारण से सहमत दरों में किसी भी वृद्धि के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. कोई भी व्यक्ति जो सरकारी सेवा में है या विभाग का कोई कर्मचारी सेवा प्रदाता के रूप में उद्धृत करने के लिए पात्र नहीं है |
3. **"ऑन ड्यूटी" सेंट्रल जीएसटी और सेंट्रल एक्साइज .कोच्चि"** वाले साइन बोर्ड को वाहन पर द्विभाषी रूप में (अंग्रेजी-हिंदी) दोनों में सामने और पीछे दोनों पक्षों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए ।
4. अनुबंध के अंत तक किसी भी अतिरिक्त या अल्पावधि किलोमीटर बाद के महीनों में समायोजित किया जाएगा ।
5. विवाद के मामले में, केंद्रीय जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि -682018 के प्रधान आयुक्त का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
6. प्रस्तुत किए गए निविदाएं वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों द्वारा शासित होंगी जिनकी योजनाओं के अनुसार वाहनों को किराए पर लिया जा रहा है।
7. करार से जुड़े या किसी भी तरह से उत्पन्न होने वाले सभी विवादों को कोच्चि में उत्पन्न माना जाएगा और केवल कोच्चि की अदालतों को ही इसका निर्धारण करने का क्षेत्राधिकार होगा ।
8. स्टाफ कार सेगमेंट (यानी, प्रीमियम एसयूवी- जेम के शब्दों में) में, जब कोई हकदार अधिकारी कार्यालय में कार्यग्रहण करता है, तो सेवा प्रदाता को कार्यालय की मांग पर, उसी शर्तों के साथ, जैसा कि वर्तमान अनुबंध में स्टाफ कार सेगमेंट में उन्हें दिया जाता है, संबंधित अधिकारी को एक उपयुक्त वाहन प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए ।
9. सेवा प्रदाता के पास केरल में एक पंजीकृत कार्यालय और कोच्चि/एर्णाकुलम में एक स्थानीय कार्यालय होना चाहिए जिसमें कोच्चि/एर्णाकुलम में आवश्यक संख्या में वाहन और ड्राइवर हों।
10. बोली की राशि में 18% की दर से जीएसटी शामिल होना चाहिए।

[एस. सुरेश]
सहायक आयुक्त[का.व सत.]

प्रति प्रस्तुत है :

प्रधान आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क
CENTRAL TAX, CENTRAL EXCISE & CUSTOMS
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

NATION TAX MARKET

प.सं.I/22/22/2021-PRO. दिनांक: 14.07.2021

वाहन किराए पर लेने के लिए काम का दायरा

1. किराए के वाहनों के संबंध में समय और दूरी उस कार्यालय से शुरू होगी और समाप्त होगी जिस पर इसे सौंपा जा रहा है । वाहनों का उपयोग 08.00 बजे से 20.00 बजे तक की अवधि के दौरान किया जाएगा, **निविदाकर्ता को बिना किसी सूचना के स्थानीय और बाहरी यात्राओं के लिए 24X7 आधार पर उपयोग अवधि से आगे बढ़ाया जा सकता है।**
2. चालक(कों) को स्थानीय भाषा में कुशल होना चाहिए और वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, पर्याप्त रूप से अनुभव होना चाहिए, शिष्टता, अच्छी आदतों और विनम्रता को बनाए रखना चाहिए और संबंधित क्षेत्र के सड़क मार्गों और स्थानों के साथ अच्छी तरह से परिचित होना चाहिए। चालक(कों) ड्यूटी करते समय सभी शिष्टाचार और प्रोटोकॉल का पालन करेगा। चालक(कों) को उचित और साफ सफेद पोशाक में होना चाहिए और वाहन परिनियोजन के दौरान हर समय निविदाकर्ता द्वारा प्रदान किए गए मोबाइल फोन पर उपलब्ध होना चाहिए। चालक(कों) को वाहन के प्रभारी अधिकारी के साथ-साथ वाहन के साथ सौंपे गए अधिकारी के निर्देशों का पालन करना चाहिए । चालक को केरल की सड़कों और स्थानों से अच्छी तरह से वाकिफ होना चाहिए। चालक को शॉर्ट नोटिस(अल्प अवधि पर दी गई सूचना) पर स्टेशन के बाहर की यात्राओं के लिए तत्पर और तैयार होना चाहिए।
3. प्रत्येक वाहन के लिए समय और माइलेज को इंगित करने वाला एक दैनिक रिकॉर्ड रखा जाएगा, जो बिलों की जांच और भुगतान के लिए प्रधान आयुक्त, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि के कार्यालय में संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।
4. इस संबंध में कोई और स्पष्टीकरण या संदेह अधीक्षक (पीआरओ), केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि से किया जा सकता है।

सहायक आयुक्त[का.व सत.]

प्रति प्रस्तुत है :

प्रधान आयुक्त, सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क
CENTRAL TAX, CENTRAL EXCISE & CUSTOMS
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

NATION TAX MARKET

प.सं.I/22/03/2021-PRO. दिनांक: 30.08.2021

जीईएम पोर्टल के माध्यम से खरीद

विषय : जेम पोर्टल पर दिनांक 01.09.2021 से दिनांक 31.08.2022 तक की अवधि के लिए केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क मुख्यालय, केंद्रीय राजस्व भवन, कोच्चि में विभागीय कैंटीन के लिए अकुशल श्रमिकों की सेवाओं की आउटसोर्सिंग के लिए प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति - सम्बंधित।

मुझे, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय, केंद्रीय राजस्व भवन, कोच्चि में विभागीय कैंटीन के लिए अकुशल श्रमिकों(7 श्रमिक) की सेवाओं की आउटसोर्सिंग के लिए जेम पोर्टल में एल-1 बोलीदाता (यानी, मेसर्स ओमकार मैनपावर कंसल्टेंसी) को ठेका देने के लिए **17,37,869 रुपये (17 लाख 37 हजार आठ सौ उनहत्तर रूपए मात्र)** की राशि के लिए केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त,कोच्चि के प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति व्यक्त करने का निर्देश दिया गया है ।

यह व्यय की पूर्ति केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय, कोच्चि के उचित खाता शीर्ष के तहत की जानी चाहिए ।

[एस. सुरेश]
सहायक आयुक्त[का.व सत.]

सेवा में

प्रशासनिक अधिकारी (मु.)
केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय, कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क
CENTRAL TAX, CENTRAL EXCISE & CUSTOMS
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

NATION TAX MARKET

प.सं.I/22/03/2021-PRO. दिनांक: 20.07.2021

विभागीय कैंटीन के लिए अकुशल श्रमिकों को काम पर रखने के लिए अतिरिक्त नियम और शर्तें

1. काम के घंटे रोजाना सुबह 07.30 बजे से शाम 04.30 बजे तक एक घंटे के लंच और टिफिन ब्रेक के साथ होंगे।
2. न्यूनतम कर्मचारी आकस्मिक सफाई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी कार्य दिवसों पर शाम 6.30 बजे तक उपलब्ध होना चाहिए।
3. तैनात कार्मिक अच्छी तरह से अनुभवी और पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए और उनका स्वास्थ्य अच्छाखासा होना चाहिए । उन्हें वर्दी और प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाने वाले पहचान पत्र प्रदान किए जाने चाहिए।उन्हें स्थानीय भाषा और विशेषतः अंग्रेजी का भी ज्ञान होना चाहिए|
4. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रधान आयुक्त के कार्यालय में विभाग द्वारा इस संबंध के कार्य सौंपे गए कैंटीन प्रबंधक /प्रभारी अधिकारी के समक्ष कार्मिक रिपोर्ट करेंगे।
5. कामगार मुआवजा अधिनियम, 1948 के तहत लागू सभी दावों के खिलाफ एजेंसी की रक्षा करनेवाली बीमा रक्षा प्रदाता द्वारा ली जाएगी । सेवा प्रदाता उसके द्वारा तैनात किसी भी व्यक्ति (कम अवधि के लिए तैनात व्यक्ति के लिए भी) के लिए आवश्यक बीमा रक्षा की व्यवस्था करेगा। यह कार्यालय ठेकेदार द्वारा आउटसोर्सिंग के लिए प्रदान किए गए मजदूर द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन करते समय होने वाली दुर्घटना, यदि कोई हो, से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा। इस आयुक्तालय पर कोई दायित्व/दावा पड़ने की स्थिति में, सेवा प्रदाता द्वारा उसकी प्रतिपूर्ति/क्षतिपूर्ति की जाएगी।
6. ठेकेदार को, मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के कार्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत निर्धारित प्रचलित दर पर, अपने कर्मियों के पारिश्रमिक का भुगतान करना चाहिए जो न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होना चाहिए। इस शर्त का कोई भी उल्लंघन अनुबंध(ठेके) की समाप्ति के लिए उत्तरदायी होगा और तदनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी । इसके अलावा, मौजूदा नियमों के अनुसार ठेकेदार द्वारा प्रति व्यक्ति को ईएसआई और पीएफ का भुगतान किया जाना चाहिए और भुगतान किए गए नकद चालानों की प्रतियां हर महीने इस कार्यालय में प्रस्तुत की जानी चाहिए।
7. ठेकेदार कर्मियों को लागू होने पर अवकाश वेतन, बोनस, ग्रेच्युटी आदि सहित मासिक वेतन के भुगतान की जिम्मेदारी है। ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वेतन के विलंबित भुगतान पर कर्मियों की ओर से किसी शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं है।
8. मैनपावर सप्लाई एजेंसी द्वारा नियुक्त कर्मचारी केवल एजेंसी के रोजगार में होंगे न कि विभाग के। सेवा प्रदाता की नियुक्ति किसी भी तरह से सेवा प्रदाता या उसके द्वारा इस कार्यालय में तैनात व्यक्तियों को इस कार्यालय या किसी अन्य सरकारी कार्यालय में किसी भी नियमित या

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क
CENTRAL TAX, CENTRAL EXCISE & CUSTOMS
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

NATION TAX MARKET

प.सं.I/22/03/2021-PRO. दिनांक: .07.2021

काम का दायरा

1. अनुबंध की अवधि के लिए यानी दिनांक 01.09.2021 से दिनांक 31.08.2022 तक केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रधान आयुक्त का कार्यालय, केंद्रीय राजस्व भवन, आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि-18 में विभागीय कैंटीन में **7 (सात)** अकुशल श्रमिकों की सेवाएं प्रदान करने के लिए, मुख्यालय, कोच्चि के सभी कार्य दिवसों में (एक घंटे के लंच ब्रेक सहित)प्रातः 07.30 बजे से अपराह्न 04.30 बजे तक प्रतिदिन लगभग 300 व्यक्तियों के लिए खानपान हेतु को खाना पकाने में और भोजन परोसने में मदद करने के लिए और विभागीय कैंटीन की साफ- सफाई और रख-रखाव में सहायता करने और शनिवार के दौरान कैंटीन परिसर और अन्य उपकरणों की गहरी सफाई के लिए।

2. सेवा प्रदाता के पास स्थानीय कार्य बल और एक नियमित पर्यवेक्षक के साथ केरल में एक पंजीकृत कार्यालय होना चाहिए जो समय-समय पर परिसर का दौरा करे और यह सुनिश्चित करे कि उनके द्वारा नियोजित व्यक्ति अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता रख रहे हैं और और उस क्षेत्र की खान-पान की आदतों और शिष्टाचार के प्रति संवेदनशील हैं जहां से विभाग कैंटीन कार्य करता है।

[एस. सुरेश]
सहायक आयुक्त[का.व सत.]